भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5453

जिसका उत्तर 03 अप्रैल, 2025 को दिया जाना है।

.....

सीमेंट कंक्रीट के उपयोग से निर्मित जलमार्गों का नकारात्मक प्रभाव

5453. डॉ. थोल तिरूमावलवनः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास भूजल स्तर के संरक्षण के संबंध में सीमेंट कंक्रीट से निर्मित जलमार्गों के नकारात्मक प्रभावों से संबंधित कोई आंकड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की भूजल स्तर में वृद्धि एवं संचयन के लिए जलमार्गों, जल चैनलों, नहरों आदि के निर्माण में क्रंकीट की जगह पारगम्य सामग्रियों का उपयोग करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) से (घ): भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) आईडब्ल्यूएआई अधिनियम, 1985 के अनुसार शिपिंग और नेविगेशन के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों {जिन्हें राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के माध्यम से राष्ट्रीय जलमार्ग-(एनडब्ल्यू) घोषित किया गया है} के विनियमन और विकास के लिए उत्तरदायी है। एनडब्ल्यू को पहले चरण की व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट और उसके बाद दूसरे चरण की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के परिणामों के अनुसार विकास के लिए लिया जाता है। आईडब्ल्यूएआई द्वारा जलमार्गों का कृत्रिम रूप से निर्माण नहीं किया जाता है। नौगम्य गहराई बनाए रखने में सीमेंट कंक्रीट का उपयोग नहीं किया जाता है।

केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) के अनुसार, भूजल आकलन समिति-2015 (जीईसी-2015) पद्धति के अनुसार वर्ष 2022 से प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के गतिशील भूजल संसाधनों का आकलन सीजीडब्ल्यूबी और राज्य नोडल/भूजल विभाग द्वारा संयुक्त रूप से प्रति वर्ष किया जा रहा है। यह पद्धति नहरों से होने वाली भूजल पुनर्भरण के आकलन के लिए मापदंडों में पंक्तिबद्ध या पंक्ति रहित दोनों प्रकार के नहरों को शामिल करती हैं।

*****